न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

पीठासीन अधिकारी : दाताराम आर.ए.एस.

अपील सं. 73/2017 (225 आरटीए) अमराराम बनाम नगाराम वगै.

(ऑनलाइन प्रकरण सं. 2017/00120)

अमराराम पुत्र श्री शिवराम जाति कुम्हार निवासी बोयल तहसील पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर हाल निवासी बी.जे.एस. कॉलोनी, नट बस्ती, कुम्हारों का बास जोधपुर।

..... अपीलांट

बनाम

1 नगाराम पुत्र श्री पूनाराम,
2 बाबूराम पुत्र श्री अणदाराम,
3 भंवरलाल पुत्र श्री अणदाराम के कायम मुकाम
3/1 विशनलाल पुत्र स्व. भंवरलाल,
3/2 राजूराम पुत्र स्व. भंवरलाल,
3/3 मदनलाल पुत्र स्व. भंवरलाल,
3/4 चंपादेवी पुत्री स्व. भंवरलाल,
3/5 ग्यारसीदेवी पुत्री स्व. भंवरलाल,
3/6 इन्द्रादेवी पुत्री स्व. भंवरलाल,
4 भपूराम पुत्र श्री अणदाराम,
5 लक्ष्मणराम पुत्र श्री अणदाराम,
6 रामूराम पुत्र श्री अणदाराम,
7 सुंदर पुत्री श्री अणदाराम,
8 गंगादेवी पुत्री श्री अणदाराम,
9 जिमनादेवी पुत्री श्री अणदाराम,
10 मुनीदेवी पुत्री श्री अणदाराम,
सभी जातियान कुम्हार निवासीगण ग्राम बोयल तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।
11 गटूदेवी पुत्री श्री शिवाराम पत्नी रूपाराम जाति कुम्हार निवासी प्रजापत कॉलोनी झालामण्ड चौराहा, जोधपुर।
12 सीघादेवी पुत्री श्री शिवाराम पत्नी श्री गंगाराम जाति कुम्हार निवासी 29, बी.जे.एस. कॉलोनी, पाण्डुनगर नई दिल्ली।
13 तहसीलदार पीपाड़ शहर तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।

..... रेस्सपोडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

21/8
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

विरुद्ध आदेश सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर दिनांक 16.05.2017 अंतर्गत राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 544/2015

उपस्थित :

1 अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री ओ. पी. प्रजापति।
2 रेस्पो. सं. 1 सं 10 की ओर से अधिवक्ता श्री गुलाबसिंह चंपावत।
3 रेस्पो. सं. 13 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री दूदाराम चौधरी।
4 रेस्पो सं. 11 व 12 की ओर से अधिवक्ता श्री राजेश चौधरी।

निर्णय

दिनांक : 21.08.2018

1. यह अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर के राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 544/2015 में पारित आदेश दिनांक 16.05.2017 के विरुद्ध इस न्यायालय में पेश की गई है।
2. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर के समक्ष रेस्पो. सं. 1 से 10 (प्रार्थीगण) की ओर से एक राजस्व वाद अंतर्गत धारा 188 बाबत स्थाई निषेधाज्ञा पेश किया एवं उसके साथ एक राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 544/2015 अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया कि राजस्व ग्राम बोयल तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर में निम्न कृषि भूमि आई हुई हैं :– खाता सं. 350 में खसरा नं. 1569 रकबा 16 बीघा, 1574 रकबा 20 बीघा 12 बिस्वा, 1575 रकबा 9 बीघा 11 बिस्वा, 1705 रकबा 9 बीघा 6 बिस्वा, 1715 रकबा 38 बीघा 14 बिस्वा, 1716 रकबा 38 बीघा 5 बिस्वा कुल खसरा 6 रकबा 132 बीघा 8 बिस्वा जो प्रार्थीगण की पुश्तैनी कब्जाशुदा जमीन है। खाता सं. 424 में खसरा नं. 802 रकबा 33 बीघा 17 बिस्वा, 804 रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा, 806 रकबा 16 बिस्वा, 807 रकबा 14 बीघा 10 बिस्वा, 808 रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा कुल खसरा 5 रकबा 60 बीघा 18 बिस्वा। उक्त कृषि भूमि में प्रार्थीगण का 1/3 हिस्सा है तथा अपने हिस्से पर काबिज काश्त होकर काश्त करते आ रहे हैं। खाता सं. 230 में खसरा नं. 809 रकबा 7 बीघा 12 बिस्वा, 987 रकबा 21 बीघा 10 बिस्वा, 988 रकबा 1 बिस्वा, 990 रकबा 31 बीघा 4 बिस्वा, 991 रकबा 11 बीघा 8 बिस्वा, 992 रकबा 18 बीघा 7 बिस्वा कुल खसरा 7 रकबा 91 बीघा 2 बिस्वा आई हुई है इस कृषि भूमि में प्रार्थीगण का 1/5 वां हिस्सा है व 1/5 हिस्से पर काबिज होकर काश्त

21/8
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

करते आ रहे हैं।

उक्त समस्त कृषि भूमि में अप्रार्थीगण का कोई हक, हिस्सा व कब्जा काश्त या लेना देना नहीं हैं। अप्रार्थी सं. 1 से 3 का स्व. लक्ष्मीदेवी के विधिक वारिसान ही नहीं हैं। जिसकी जानकारी होने पर प्रार्थीगण ने पुलिस थाना बिलाड़ा में जुर्म धारा 467, 468, 471, 191, 193, व 420 भा.दं.सं. के तहत कार्यवाही की जो जैर अनुसंधान है। अतः प्रार्थीगण ने अपील धारा 75 एल. आर. एक्ट के तहत प्रस्तुत की लेकिन राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थी सं. 1 से 3 का नाम भी प्रार्थीगण के साथ–साथ दर्ज होने से अप्रार्थी संख्या 1 से 3 वादग्रस्त आराजी को बेचान, हस्तांतरण पर उतारू हैं तथा वादग्रस्त आराजी को खुर्द–बुर्द करने पर आमादा हैं। इसलिए प्रार्थना की कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी के कब्जे काश्त में अप्रार्थीगण कोई दखलंदाजी नहीं करें एवं राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाए रखने बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने बाबत निवदेन किया गया। रेस्पो. सं. 1 से 10/प्रार्थीगण के उक्त प्रार्थना पत्र का जबाब अपीलांट (अप्रार्थी सं. 1) की ओर से जबाब पेश कर कथन किया कि अप्रार्थी सं. 1 से 3 की दादी लक्ष्मीदेवी के फोत हो जाने पर नामांतरकरण सं. 2011 के पुश्त पर बनाए हुए लक्ष्मीदेवी के उत्तराधिकारियों का वंश वृक्ष में लक्ष्मीदेवी के दूसरे पुत्र के वारिसान होने से अप्रार्थीगण व प्रार्थीगण का विवादित आराजी में बराबर–बराबर का हिस्सा है जो क्रमशः 1/3, 1/3 व 1/5 बनता है। लक्ष्मीदेवी के दूसरे पुत्र शिवराम के पुत्र व पुत्रियां होने से वादग्रस्त आराजी के अप्रार्थीगण व प्रार्थीगण बराबर–बराबर हिस्से के हकदार हैं। इसलिए प्रार्थीगण के हक में किसी प्रकार का प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता है। न ही सुविधा का संतुलन है। प्रार्थीगण को किसी प्रकार की अपूर्णीय क्षति भी नहीं होने जा रही है। प्रार्थीगण ने बदनीयती से प्रेरित होकर झूठे व बेबुनियाद तथ्यों के आधार पर वाद व याचिका पेश किए हैं जो खारिज योग्य हैं। इसलिए अंत में अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र को खारिज करने का निवेदन किया गया। अप्रार्थी सं. 2 व 3 ने भी जबाब पेश किया कि अप्रार्थीगण व प्रार्थीगण का विवादित आराजी में बराबर–बराबर का हिस्सा है जो क्रमशः 1/3, 1/3 व 1/5 बनता है। इसलिए प्रार्थीगण के हक में किसी प्रकार का प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता है। न ही सुविधा का संतुलन है। प्रार्थीगण को किसी प्रकार की अपूर्णीय क्षति भी नहीं होने जा रही है तथा अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र को खारिज करने का निवेदन किया। उक्त प्रकरण को लोक अदालत कैंप कोर्ट बोयल में रखा गया एवं बाद सुनने बहस पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना किसी उचित आधार के विवादित भूमि के अपीलांट व अप्रार्थी सं. दो व तीन

21/8
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

खातेदार काश्तकार होने के बावजूद भी उनके विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश पारित कर दिया। अतः अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.05.2017 से व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3 उक्त अपील दर्ज की जाकर रेस्पों. को जरिए सम्मन तलब किया गया। एवं अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मंगवाया गया। उक्त प्रक्रिया पूर्ण होने पर उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4 अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री ओ. पी. प्रजापति ने अपील मीमो में वर्णित कथन को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील वाक्यात मुकदमा व पत्रावली पर आए तथ्यों से भिन्न होने के कारण निरस्त किए जाने योग्य है। विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया जावे तो यह साफ प्रकट होता है कि अपीलांट व अप्रार्थी सं. 2 व 3 स्व. श्रीमती लक्ष्मी पत्नी पूनाराम के विधिक उत्तराधिकारी हैं और लक्ष्मीदेवी के फोत होने पर बाद जांच अपीलांट व अप्रार्थी सं. 2 व 3 को मृतक खातेदार का विधिक उत्तराधिकारी होना मानते हुए उनके पक्ष में राजस्व रिकार्ड में म्यूटेशन दर्ज किया है। तथा रेस्पोडेंट्स की ओर से ऐसी कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई है जिससे प्रथम दृष्टया यह प्रकट हो कि अपीलांट व अप्रार्थी सं. 2 व 3 स्व. लक्ष्मीदेवी के पुत्र व पुत्रियां न हों लेकिन बावजूद इन तमाम के भी बिना किसी दस्तावेजी साक्ष्य के महज रेस्पोडेंट के कथनों पर रिलाई करते हुए सरसरी तौर पर ही आदेश पारित कर दिया है। रेस्पोडेंट ने बिना किसी आधार के विवाद खड़ा कर अपीलांट व अप्रार्थी सं. 2 व 3 को हैरान परेशान करना चाहते हैं और इसी बदनियती से उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में महज निषेधाज्ञा का वाद पेश किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने मामले के दूसरी तरफ देखा ही नहीं हैं न ही अपीलांट के जबाब के अभिकथनों को कंसीडर ही किया है बल्कि एकतरफा रूप से रेस्पोडेंट के अभिकथनों पर हूबहू रिलाई कर आलोच्य आदेश चार लाइन में पारित कर दिया है। जो विधि के सारभूत सिद्धांतों के सर्वथा विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश स्पष्टतया नोन स्पीकिंग आदेश है जिसमें किसी भी प्रकार का अपना कोई विधि संगत निष्कर्ष वास्तविक विवाद बिंदु पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं दिया गया है। अपीलांट के पक्ष में राजस्व रिकार्ड उनके नाम से विवादित आराजी में अमल दरामद किया हुआ है लेकिन मौके एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति को समझे बिना व किसी प्रकार का विधिसंगत निष्कर्ष दिए बिना आलोच्य आदेश पारित कर दिया है जो स्पष्टतया अपीलांट के अचल संपत्ति के अधिकारों पर कुठाराघात करने

21/8
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

वाला है इसलिए अपीलाधीन आदेश निरस्त किए जाने योग्य है। आलोच्य आदेश पारित करने से अपीलांट–अप्रार्थी अपने खातेदारी कब्जा काश्त की हिस्सा भूमि का माकूल उपयोग व उपभोग करने से वंचित हो गया है और इस प्रकार की निषेधाज्ञा जाहिरा तौर पर अपीलांट को अपूर्णीय क्षति होने जा रही है। जहां तक प्रथम दृष्टया का मामले का प्रश्न है, मौके पर कब्जा व राजस्व रिकार्ड अपीलांट के पक्ष में ही है यानी प्रार्थी के हक में किसी प्रकार का कोई प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन नहीं हैं और इन परिस्थितियों में प्रार्थी को किसी प्रकार की अपूर्णीय या अन्य प्रकार की क्षति या असुविधा होने नहीं जा रही है। लेकिन अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों बिंदुओं पर किसी भी प्रकार का विवेचन किए बिना, बिना किसी प्रकार का निष्कर्ष दिए सरसरी तौर पर अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया है जो स्पष्टतया विधि के सारभूत सिद्धांतों के सर्वथा विपरीत है एवं आलोच्य आदेश निरस्त किए जाने योग्य है। अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश निरस्त करने का निवेदन किया।

5 रेस्पो. सं. 1 सं 10 की ओर से अधिवक्ता श्री गुलाबसिंह चंपावत ने बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 1569, 1574, 1575, 1705, 1715 व 1716 रेस्पोडेंट सं. 1 से 10/प्रार्थीगण की पुश्तैनी कब्जाशुदा जमीन है व वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 802, 804, 806, 807 व 808 में प्रार्थीगण का 1/3 वां हिस्सा है व वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 809, 987, 988, 989, 990, 991, 992 में प्रार्थीगण का 1/5 वां हिस्सा निहित है। प्रार्थीगण अपने हक हिस्सा अनुसार संयुक्त रूप से काबिज होकर काश्त करते आ रहे हैं जिसमें अप्रार्थीगण सं. 1 से 3 का कोई हक व हिस्सा तथा कब्जा काश्त नहीं हैं। अप्रार्थी सं. 1 से 3 का वादग्रस्त आराजी से कोई लेना देना नहीं हैं। लक्ष्मीदेवी पत्नी पूनाराम के देहांत के पश्चात गांवों के संग अभियान बोयल में मृतक लक्ष्मीदेवी पत्नी पूनाराम के देहांत पश्चात फोतेदगी म्यूटेशन स्वीकृत कराते समय अप्रार्थी संख्या 1 से 3 का नाम गलत रूप से स्वीकृत करवा दिया गया। जबकि अप्रार्थी संख्या 1 से 3 स्व. लक्ष्मीदेवी के विधिक वारिसान ही नहीं हैं। जिसकी जानकारी होने पर प्रार्थीगण ने पुलिस थाना बिलाड़ा में जुर्म धारा 467, 468, 471, 191, 193, व 420 भा.दं.सं. के तहत कार्यवाही की जो जैर अनुसंधान है। अतः प्रार्थीगण ने अपील धारा 75 एल.आर. एक्ट के तहत प्रस्तुत की लेकिन राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थी सं. 1 से 3 का नाम भी प्रार्थीगण के साथ–साथ दर्ज होने से अप्रार्थी संख्या 1 से 3 वादग्रस्त आराजी को बेचान, हस्तांतरण पर उतारू हैं तथा वादग्रस्त आराजी को खुर्द–बुर्द करने पर आमादा हैं। इसलिए अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय ने गुणावगुण

2/18
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

पर स्वीकार करते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं हैं। तहसीलदार द्वारा शिविर में पारित म्यूटेशन सं. 2011 की अपील प्रथम अपील अधिकारी को रेस्पोडेट्स सं. 1 से 10 ने की थी जिसमें इस म्यूटेशन को निरस्त कर दिया था। हालांकि इसके बाद अति. संभागीय आयुक्त ने द्वितीय अपील में म्यूटेशन सं. 2011 ग्राम बोयल को यथावत रख दिया लेकिन अति. संभागीय आयुक्त के निर्णय को माननीय राजस्व मण्डल में रेस्पो. की ओर से जरिए निगरानी सं. 2017/6094 चुनौती दी जा चुकी है जिसमें स्थगन आदेश जारी किया हुआ है। जिसकी पुष्ठि के लिए रेस्पोडेंट की ओर से फार्म नं. 3 के साथ स्थगन प्रभावी होने की तहरीर पेश की है। रेस्पोडेंट के अधिवक्ता ने अपनी बहस में म्यूटेशन सं. 182 का अवलोकन कराया जिसमें रावताराम की मृत्यु के बाद उसके पुत्र शिवराम के फोत होने पर शिवराम के लड़के के रूप में अमरा का नाम आया है। लेकिन विवादित म्यूटेशन सं. 2011 में वह गलत वंशावली के आधार पर लक्ष्मीदेवी का वारिस बनकर आया है। इस म्यूटेशन को चुनौती दी गई एवं वर्तमान में प्रकरण राजस्व मण्डल में विचाराधीन है जहां पर स्थगन आदेश है। इस प्रकार वर्तमान में अपीलांट को गलत नामांतरकरण के आधार पर खातेदार नहीं माना जा सकता है नामांतरकरण एक फिस्कल प्रोसीडिंग है। अपीलांट को खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाए बिना अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश खारिज करवाने का अधिकारी नहीं है। अपीलांट ने केवल धारा 188 के तहत स्थाई निषेधाज्ञा का दावा पेश किया है इसलिए दावे में भी हक अधिकार तय नहीं हो सकते अतः अपील अपीलांट खारिज करने का निवेदन किया।

6 रेस्पो. सं. 11 व 12 के अधिवक्ता श्री राजेश चौधरी ने अपीलांट के अधिवक्ता की बहस का समर्थन करते हुए अपीलांट की अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

7 रेस्पो. सं. 13 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री दूदाराम चौधरी ने बहस में कथन किया कि प्रकरण में राजकीय हित निहित नहीं हैं अतः तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुसार उचित निर्णय पारित करने का निवेदन किया।

8 उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत गंभीरतापूर्वक अध्ययन किया गया।

9 इस प्रकरण में लक्ष्मीदेवी के वारिसान एवं उत्तराधिकार का जटिल बिंदु निहित है। जिस म्यटेशन के आधार पर अपीलांट्स को खातेदारी प्राप्त हुई उस म्यूटेशन सं. 2011 की अपील रेस्पो. सं. 1 से 10 की ओर से प्रथम अपील अधिकारी के यहां की गई जिसमें म्यूटेशन को निरस्त कर दिया गया एवं प्रकरण रिमाण्ड कर दिया। लेकिन प्रथम अपील अधिकारी के

21/8
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

निर्णय की अपील अति.सभागीय आयुक्त के यहां होने से इस निर्णय को निरस्त कर दिया व म्यूटेशन सं. 2011 यथावत रख दिया। अति.संभागीय आयुक्त जोधपुर के निर्णय को रेस्पोडेंट्स ने निगरानी के जरिए माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में चुनौती दी है एवं वर्तमान में अति. संभागीय आयुक्त के निर्णय की पालना एवं प्रभाव पर स्थगन है। अतः उक्त स्थिति से यह स्पष्ट है कि वर्तमान में भी मृतका लक्ष्मीदेवी के वारिसान एवं उत्तराधिकार का मामला पूर्ण रूप से निर्णित नहीं हुआ है। लेकिन इससे यह स्पष्ट है कि पक्षकारान के उत्तराधिकार को लेकर विवाद है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस प्रकरण में रेस्पोडेंट सं. 1 स 10 के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया गया है लेकिन आदेश पारित करते समय अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों बिंदु यथा प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के संबंध में पूर्ण विवेचन नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने विवेचन एवं निर्णय में केवल यह अंकित किया है कि "हमने वकुलाय बहस सुनी। प्राथीगण के प्रार्थना पत्र, वकील अप्रार्थीगण के जबाबदावा एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन करने पर पाया कि वादग्रस्त आराजी प्रार्थीगण की पैतृक संपत्ति जाहिर होती है। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं क्षतिपूर्ति का बिंदु प्रार्थीगण के पक्ष में बनना पाया जाता है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर विरुद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि वह मूल वाद के विचारण तक राजस्व ग्राम बोयल के खाता संख्या 350, 424, 230 में वर्णित वादग्रस्त आराजी में अप्राथीगण किसी प्रकार की दखलंदाजी पैदा नहीं करें एवं न ही किसी अन्य से करावें एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखें।"

10 उपरोक्त विवेचन से इस यह स्पष्ट है कि प्रकरण में दोनों पक्षकारों में उत्तराधिकार को लेकर विवाद है तथा वर्तमान में अपीलांट की खातेदारी निरस्त नहीं हुई है केवल उस पर स्थगन है। ऐसी परिस्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति का बिंदु, वादग्रस्त भूमि पर कब्जे के संबंध में बिना कोई फाइंडिंग के प्रार्थीगण के पक्ष में मान लिया है जो पूर्णतया स्पष्ट नहीं हैं। अतः अपीलाधीन आदेश नोनस्पीकिंग आदेश की श्रेणी में आ जाता है। लेकिन प्रकरण के तथ्यों से यह स्पष्ट है कि प्रकरण में दोनों पक्षकारों में उत्तराधिकार को लेकर विवाद है तथा वर्तमान में अपीलांट की खातेदारी निरस्त नहीं हुई है केवल उस पर स्थगन है। ऐसी स्थिति में यदि वाद के दौरान भूमि का बेचान या हस्तांतरण किया जाता है तो उससे अनावश्यक कानूनी पेचीदगियां उत्पन्न होने की संभावना है, जिनको रोकना राजस्व

21/8
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अदालत का दायित्व है। अधिनियम की धारा 212 का प्रावधान इसी उद्देश्य से बनाया गया है कि इसके जरिए अदालत विवादग्रस्त सम्पत्ति को अन्तिम रूप से अधिकार तय होने तक सुरक्षित व यथावत रख सकें। अतः इस न्यायालय की राय में मूल वाद के निस्तारण तक अप्रार्थीगण /अपीलांट को वादग्रस्त आराजी का बेचान व हस्तांतरण नहीं करने के लिए पाबंद करना न्यायोचित प्रतीत होता है। तदनुसार अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार योग्य है।

11 अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.05.2017 इस प्रकार संशोधित किया जाता है कि अप्रार्थीगण (अपीलांट एवं रेस्पो. सं. 11 व 12) के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि मूल वाद के विचारण तक राजस्व ग्राम बोयल के खाता संख्या 350, 424, 230 में वर्णित वादग्रस्त आराजी की भूमि में से उसके हिस्से में दर्ज भूमि का मूल वाद के निस्तारण तक बेचान या हस्तांतरण नहीं करें। अधीनस्थ न्यायालय का शेष आदेश निरस्त किया जाता है।

21/8/18

(दाताराम)
राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

12 निर्णय आज दिनांक 21.08.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

21/8/18

(दाताराम)
राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर